

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: एफ 1(1)(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2014/8400-19 जयपुर, दिनांक ४.५.१४

**अधिसूचना**

फसल खरीफ संवत् 2070 में खराबा के कारण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 734-800 दिनांक 28.01.2014, रबी फसल सम्वत् 2070 विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4196-215 दिनांक 23.5.2014, 5605-25 दिनांक 19.6.2014 व 7333-53 दिनांक 11.7.2014 इन अधिसूचनाओं की अवधि 31 जुलाई, 2014 तक प्रभावी थी। राज्य के 8 जिलों क्रमशः अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं पाली के क्षेत्रों में सामान्य वर्षा दर्ज न होने के कारण अभी तक भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। अतः पूर्व की अधिसूचनाओं की निरन्तरता में अभाव अवधि अब 15 अगस्त, 2014 तक बढ़ाई जाती है।

ध्यान रहे कि इस अभाव अवधि में इन जिलों में पूर्व से संचालित पशु संरक्षण राहत गतिविधियों (पेयजल पवित्र व्यवस्था, गौशाला/पशु शिविर, चारा परिवहन व्यवस्था एवं अनुग्रह सहायता) की अवधि प्रारम्भ दिनांक से 90 दिवस या 15 अगस्त, 2014 तक जो भी पहले हो संचालित की जा सकेगी।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता मंत्री
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव (इन्फस्ट्रक्चर)/कृषि/सहकारिता
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर जोधपुर राज।।
15. जिला कलेक्टर, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर एवं पाली राजस्थान।।
16. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
17. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।।
18. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।।
19. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।।

संयुक्त शासन सचिव